सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा.स. NCST/ATY-479/RJ/31/2022-APCR **दिनांक:26.07.2024**

सेवा में,

डॉ. अमृता दुहन
पुलिस अधीक्षक, कोटा
जिला - कोटा,
नयापुरा, कोटा राजस्थान-324001
ई मेल: range.kta.acb@rajasthan.gov.in

विषय: अनुसूचित जनजाति व्यक्ति के साथ जातीय अत्याचार, मार -पीट, झूठे प्रकरणों मे फंसाकर जेल भेजने एवं पुलिस थाना विज्ञान नगर, कोटा पुलिस कर्मियों द्वारा उत्पीड़न करने के विरुद्ध दोषी व्यक्तियों एवं पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने के बारे मे श्री हंसराज मीना, पुत्र श्री परमानंद मीना, निवासी रंगबाड़ी हनुमान मंदिर के पीछे ,कोटा (राजस्थान) का अभ्यावेदन।

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 27.06.2024 को आयोग में हुई सुनवाई का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त सुनवाई का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि सुनवाई में लिए गए निर्णयों व आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर कार्रवाई करते हुए अनुपालन रिपोर्ट इस आयोग को 15 दिन के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न : यथोपरि

भवदीय

(एच.आर. मीना/ H.R.Meena)
अनुसंधान अधिकारी/ Research Officer
Email ID: hari.rammeena@ncst.nic.in

प्रतिलिपि प्रेषित:-

श्री हंसराज मीना
पुत्र परमानंद मीना,
निवासी रंगबाड़ी हनुमान मंदिर के पीछे,
कोटा- राजस्थान
मोबाइल न.- 9782013513

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

NCST/ATY-479/RJ/31/2022-APCR

श्री हंसराज मीना, पुत्र- श्री परमानंद मीना, निवासी रंगबाड़ी हनुमान मंदिर के पीछे, कोटा, राजस्थान की शिकायत के मामले में आयोग के माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 27.06.2024 को आयोग में हुई सुनवाई का कार्यवृत।

सुनवाई की तिथि : 27.06.2024, 02:00 P.M.

सुनवाई में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट

श्री हंसराज मीना, पुत्र- श्री परमानंद मीना, निवासी रंगबाड़ी हनुमान मंदिर के पीछे, कोटा राजस्थान से दिनांक 12.12.2022 की शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें उनका कहना है कि उन्होने न्यायालय के माध्यम से एक FIR सं 589/2009 आरोपिगण श्री जगदीश यादव एवं उसके साथियों के विरुद्ध जातीय अत्याचार, मारपीट व जमीन की धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी परंतु पुलिस द्वारा आरोपियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी, इसके उपरांत आरोपियों द्वारा पुलिस से मिलकर उन्हे झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया गया, बाद मे कई शिकायत करने के बाद पुलिस द्वारा आरोपियों के विरुद्ध हल्की धाराओं मे कार्यवाही की गयी, न्यायालय द्वारा आरोपियों को सजा दी गयी, परंतु आरोपियों द्वारा उनके साथ लगातार मार पीट, मारने की धमकियां, समाज मे बेज्जती एवं उत्पीड़न किया जा रहा है, पुलिस मे शिकायत करने के बावजूद आरोपियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, पुलिस भी उन्हे झूठे मामलों में फंसाकर उनका उत्पीड़न कर रही है, शिकायतकर्ता ने मामले में दोषी व्यक्तियों एवं दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की मांग की गयी है।

2. आयोग द्वारा इस मामले को पुलिस अधीक्षक, जिला– कोटा, राजस्थान के साथ दिनांक 20/06/2022 को उठाया गया था और 30 दिन में रिपोर्ट मांगी गई थी।

3. जिसके सम्बंध में पुलिस अधीक्षक, जिला– कोटा, राजस्थान की ओर से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। आयोग द्वारा दिनांक 27.06.2024 को पुलिस अधीक्षक, जिला– कोटा, राजस्थान के साथ आयोग में सुनवाई तय की गयी।

4. प्रकरण की सुनवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला– कोटा, राजस्थान उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता प्रकरण की सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए।

आशा लकड़ा

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

5. प्रकरण की सुनवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला– कोटा, राजस्थान ने प्रकरण से संबन्धित तथ्य प्रस्तुत किए। जिसमें उन्होने बताया कि शिकायतकर्ता एक आदतन अपराधी है, उसके खिलाफ 9 केस दर्ज है।

प्रकरण पर सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्न अनुशंसाए की जाती है:-

1. मामले की एक बार पुनः जांच की जाए और रिपोर्ट आयोग में प्रस्तुत की जाए

2. भविष्य मे आयोग के नोटिस का जवाब समय पर दिया जाए

मामले में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 7 दिन के अंदर आयोग को प्रस्तुत की जाए।

आशा लकड़ा
12/07/2024

(डॉ. आशा लकड़ा)

सदस्य

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Annexure

National Commission for Scheduled Tribes

Case File No.- NCST/ATY-479/RJ/31/2022-APCR

List of Participants

Officers from National Commission for Scheduled Tribes

Dr. Asha Lakra (In Chair)
Hon'ble Member

Shri H.R. Meena
Research Officer

Shri Vishnu Datt Saini
Investigator

Officers from the O/o Superintendent of Police, Distt.- Kota, Rajasthan

Shri Hari Ram Soni , DSP O/o Superintendent of Police